

लोक सुनवाई का वृत्त।

श्री मनोज कुमार महारथी, पिता—श्री राजेन्द्र पसाद यादव, पता—15, बलडीह, पोस्ट—बलडीह, थाना—सिकंदरा, जिला—जमुई द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 08 (दरियापुर) बालु घाट, मौजा—दरियापुर, ब्लाक—वारिसलीगंज, जिला—नवादा का नवादा जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 08.12.2023 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला—नवादा के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/I(a)/2465/2023, dated 23.08.2023 के आलोक में श्री उज्जवल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, नवादा (जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 08.12.2023 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला—नवादा में लोक—सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक—1)

इस लोक—सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 04.11.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक—सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक—सुनवाई में उपस्थित जन—समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक—सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 08 (दरियापुर) बालु घाट, मौजा—दरियापुर, ब्लाक—वारिसलीगंज, जिला—नवादा के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतिश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से

अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैं:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री सोनु कुमार, पता: दरियापुर, जिला: नवादा।	इनके द्वारा बालू खनन से आमजनो को क्या लाभ मिलेगा इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा एवं साथ ही बालू खनन से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगा। इसप्रकार श्री सोनु कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री मिथलेश कुमार, पिता: श्री अरुण यादव, पता: दरियापुर, जिला: नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
3.	श्री कमलेश कुमार, पता: दरियापुर, जिला: नवादा।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान सड़क खराब होने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मत लेसी द्वारा कराया जायेगा। इसप्रकार श्री कमलेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

4.	श्री रामाशीष प्रसाद, पिता: ब्रह्मदेव यादव, पता: दरियापुर, जिला: नवादा।	इनके द्वारा बालू परिवहन से हो रहे सड़क जाम एवं दुर्घटना होने के संबंध में प्रश्न पूछा गया और सुझाव दिया गया कि बालू खनन का संचालन शुरू किया जाय ताकि अवैध बालू खनन पर रोक लग सके। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बच्चों को स्कूल जाने एवं आने के समय बालू लदे वाहनो का संचालन नहीं किया जायेगा। अगर बालू परिवहन के दौरान किसी प्रकार की असामयिक दुर्घटना होने पर सरकार के द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है, जिस क्रम में दिनांक: 15.08.2021 के नये अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जायेगा। इसप्रकार श्री रामाशीष यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री देवनंदन कुमार, पिता: भागल प्रसाद, पता: चदीपुर, जिला: नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन का संचालन शुरू किया जाय ताकि अवैध बालू खनन पर रोक लग सके।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटो पर बालू की खुदाई 2 मीटर गहराई तक ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

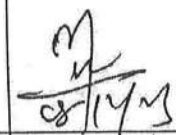
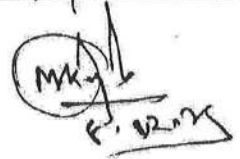
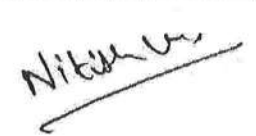
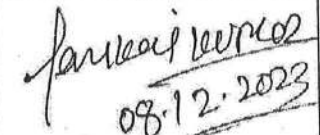
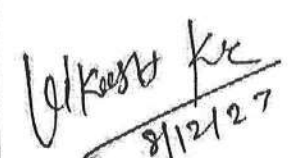
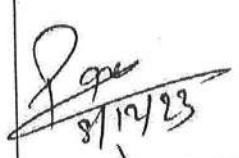
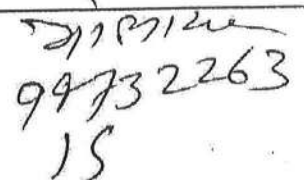
जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,
गया


अपर समाहर्ता,
नवादा

उपस्थिति सूची

श्री मनोज कुमार महारथी, पिता— श्री राजेन्द्र पसाद यादव, पता— 15, बलडीह, पोस्ट— बलडीह, थाना— सिकंदरा, जिला— जमुई (नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 08 (दरियापुर) बालु घाट, मौजा— दरियापुर, ब्लाक—वारिसलीगंज, जिला—नवादा) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 08.12.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला—नवादा में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ujjwal Kumar Singh Additional Collector Cum - Additional District Magistrate		
2.	MULCH H KUMAR Dmo, Nawada	Dmo, Nawada	
3.	Manoj Kumar Verma	R.O, Gaya B.S.P.C. Bd.	
4.	नीमिश कुमार	Cognizance Res. India Pvt. Ltd. (Env. consultant)	
5.	सोनेन्द कुमार सोमवेंकटपुरी घर	डा. वि. वरुण मथुरा 9973402075	सोनेन्द कुमार
✓ 6.	पंकज कुमार S/O - उमरुण कुमार	ग्राम - सलुगंज 8864046947	 08.12.2023
7.	विष्णु कुमार S/O प्रकाश विष्णु	ग्राम - दरियापुर 9931289353	 8/12/23
8.	पंकज कुमार	ग्राम - तारागंज बलडीह	 8/12/23
9.	मोहन यादव	ग्राम दरियापुर 9973226315	 99732263 15

10.	कमलेश यादव राजीव यादव 9661775713	हरियापुर जिला (नया) 9	कमलेश यादव
11.	उमेश कुमार 200 कृष्ण नन्दन	उमेश	उमेश कुमार
12.	कमल नमन 20 मनेश कुमार	20 मनेश	कमल नमन
13.	शिवनन्दन यादव स्वामी - हरियापुर	जाम - हरियापुर शिवनन्दन यादव	शिवनन्दन यादव
14.	मिथलेश यादव बामि यादव	जाम हरियापुर	मिथलेश यादव
15.	विरुद्ध कुमार महेन्द्र यादव	जाम हरियापुर शिवनन्दन	विरुद्ध कुमार
16.	पुष्प कुमार सुरेश यादव	जाम हरियापुर जिला नवद	पुष्प कुमार
17.	मिशलेश यादव अर्जुन यादव	जाम - हरियापुर वालिनी गोंडा	9934723026 MK
18.	कुलदीप भादुरी स्वामी - हरियापुर	जाम - हरियापुर वालिनी गोंडा	
19.	पुष्प कुमार	जाम हरियापुर	
20.	जामाथी यादव	हरियापुर	6299117467 जामाथी यादव 9162624805

21.	सुभाष चावण जुरेश चावण	हरिभाऊ	सुभाष
22.	जगदेव मादव	सकलदेव मा	जगदेव
23.	विष्णु कुमार	रमण मादव	विष्णु कुमार
24.	विपीन पांडव बं. लो. २१ चीफ	हरिभाऊ	विपीन पांडव
25.	गोविंद कुमार न. रं. २१ चीफ	हरिभाऊ	गोविंद कुमार
26.	जगदेव	हरिभाऊ	जगदेव
27.	राजेश कुमार	राजेश कुमार	राजेश कुमार
28.	निमिश चावण महेश चावण	हरिभाऊ	निमिश
29.	जगदेव पाण्डे सुरेश पाण्डे	शंकरपुरा	जगदेव पाण्डे ९९८८७७५७८८
30.	राजेश कुमार बी. कुलेश महार	मिलकी ९००६९४८८८८	राजेश कुमार
31.	अरवि कुमार नरेश पाण्डे	शंकरपुरा	अरवि कुमार ९९७३३१७८८८

32.	उमेश कुमार भादव पिता दीपक कुमार	दरियापुर	उमेश कु. भादव
33.	विनोद कुमार पिता रघुनाथ भादव	वरियापुर	विनोद कुमार पिता रघुनाथ भादव
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई-मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट-<http://bspcb.bihar.gov.in>



लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष श्री मनोज कुमार महारथी, पिता— श्री राजेन्द्र पसाद यादव, पता— 15, बलडीह, पोस्ट— बलडीह, थाना— सिकंदरा, जिला— जमुई द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 08 (दरियापुर) बालू घाट, मौजा— दरियापुर, ब्लॉक—वारिसलीगंज, जिला—नवादा में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी हैं तथा लोक-सुनवाई की जानी हैं।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया हैं। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद् मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, नवादा; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नवादा; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा एवं जिला खनन कार्यालय, नवादा के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद् के वेबसाइट: <http://bspcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद् कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद् के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:—

दिनांक:	समय	ब्लॉक का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
08.12.2023	अपराह्न 02:00 बजे	वारिसलीगंज, जिला—नवादा	नवादा जिला अन्तर्गत दरियापुर	सकरी नदी ब्लॉक: 08 (दरियापुर)	अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला—नवादा

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध हैं कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाइन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेगें।

PR- 011213 (Ni. Ni.) 2023-24

सदस्य सचिव

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट: http://bspcb.bihar.gov.in



लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.08.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष श्री मनोज कुमार महारथी, पिता- श्री राजेन्द्र प्रसन्न यादव पता- 15, बलडीह, पोस्ट- बलडीह, थाना- सिकंदरा, जिला- जमुई द्वारा सुझाव/विचार/मंथन नदी ब्लॉक-08 (दरियापुर) बालू घाट, मौजा- दरियापुर, ब्लॉक- वारिसलीगंज, जिला- नवादा में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचारधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक-सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक स्तर की प्रति पर्वद मुख्यालय, पटना, जिला प्रदाधिकारी, नवादा; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा एवं जिला खनन कार्यालय, नवादा के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्वद के वेबसाइट: http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्वद कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्वद के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है। परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

दिनांक	समय	ब्लॉक का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
08,12:2023	अपराह्न 02:00 बजे	वारिसलीगंज, जिला-नवादा	नवादा जिला अन्तर्गत दरियापुर	सकरी नदी ब्लॉक- 08 (दरियापुर)	अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला-नवादा

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाइन का पालन करते हुए, परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करावें।

PR-011213 (NI, NI.) 2023-24

सदस्य सचिव

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

